



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1571]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937

No. 1571]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SHRAVANA 5, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

का.आ. 2048(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कठिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11 नवंबर, 2014 की का.आ.सं. 2875(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/मुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गई आपत्तियों/मुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधनः

जोन-डी में आने वाले निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग दि.मु.यो. 2021	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
1	योजना जोन 'डी' में आने वाले मोती बाग, नई दिल्ली में होटल लीला के निकटस्थ प्लॉट।	7830 वर्ग मीटर (0.78 हेक्टेयर)	'परिवहन(रेल परिचालन)'	'आवासीय'	उत्तर: विद्यमान रेलवे ट्रैक दक्षिण : एलएंडडीओ और होटल लीला पैलेस द्वारा विकसित भूदृश्यांकन हरित क्षेत्र। पूर्व : अफ्रीका एवेन्यू रोड। पश्चिम : विद्यमान पहुँच मार्ग।

भूमि उपयोग निम्नलिखित की शर्त पर

- इस स्थान पर काफी संख्या में वृक्ष होने के कारण समुचित एजेंसी से आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति।

[फा. सं. के.-13011/22/2012-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

S.O. 2048(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 2875 (E) dated 11.11.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Plot adjacent to Hotel Leela in Moti Bagh, New Delhi, falling in Planning, Zone-'D'.	7830 sqm. (0.78 ha.)	'Transportation (Rail Circulation)'	'Residential'	North: Existing Railway Track South: Developed Landscaped Green Area by L&DO and Hotel Leela Palace East: Africa Avenue Road West: Existing approach road

The land use is subject to:

- Necessary environment clearance from appropriate agency as number of trees are existing at this site.

[F. No. K-13011/22/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.